न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–236/2018

निर्णय दिनांकः–28.08.2019

उनवान

रामलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी राजधिराजपुरा तहसील निवाई

–प्रार्थी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी राजधिराजपुरा तहसील निवाई
2. प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी राजधिराजपुरा तहसील निवाई
3. रामसहाय पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी राजधिराजपुरा तहसील निवाई
4. छोटूलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी राजधिराजपुरा तहसील निवाई
5. प्रेम पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी राजधिराजपुरा तहसील निवाई
6. कानी पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी राजधिराजपुरा तहसील निवाई
7. लछमा पत्नि कल्याण जाति मीणा निवासी राजधिराजपुरा तहसील निवाई
8. तहसीलदार निवाई

–प्रतिपक्षीगण

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः– श्री रामबाबू शर्मा वकील प्रार्थी

श्री गिरधर सिंह तंवर, रवि प्रकाश पारीक वकील प्रतिपक्षीगण 1ता7

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी ख.नं. 76 रकबा 08–13 बीघा वाके ग्राम राजधिराजपुरा तह. निवाई में स्थित है। उक्त भूमि विभाजित होकर मौके पर ख.नं. 76/2 रकबा 04–07 बीघा प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी में तथा ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा प्रतिपक्षीगण सं. 1ता7 के कब्जे एवं खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख.नं. 76/2 रकबा 04–07 बीघा तथा ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा की दो अलग–अलग जमाबन्दीयां बनी हुई है अर्थात् दोनो की खातेदारी की जमाबन्दीयां बनी हुई है अर्थात दोनो की खातेदारी की जमाबन्दीयां तो पृथक–पृथक बन चुकी है परन्तु नक्शा ट्रेस में दोनों की तरमीम ही हुई नहीं है जो कि नक्शा ट्रेस में मूल ख.नं. 76 दर्शाया हुआ है जिसको मौके पर कब्जे के अनुसार ख.नं. 76/1 व ख.नं. 76/2 अंकित करते हुये नक्शा शीट में तरमीम करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रा.पत्र पेश कर निवदेन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम राजधिराजपुरा तहसील निवाई स्थित भूमि ख.नं. 76 में ख.न. 76/1 व ख.नं. 76/2 की मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 1ता7 की ओर से श्री गिरधर सिंह तंवर, रविप्रकाश पारीक एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिपक्षीगण 1ता7 की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश किया गया कि आराजी ख.नं. 76 रकबा 08–13 बीघा मौके पर पूर्व पश्चिम दिशा में आडी विभाजित होकर बंटी हुई है तथा ख.नं. 76/1 रकबा मय चाह 04–06 बीघा विभाजित होकर प्रतिपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। ख.नं. 76/1 सम्पूर्ण रकबा 04–06 बीघा लबे सडक स्थित है। ख.नं. 76 का तकासमा होकर ख.नं. 76/2 रकबा 04–07 बीघा तथा ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा की दो अलग–अलग जमाबन्दीयां बनी हुई है। उक्त विभाजित भूमि की तरमीम पूर्व पश्चिम दिशा के रूप में दो भागों में आडा विभाजित किया जाकर लबे सडक ख.नं. 76/1 मय चाह व उसके पीछे की तरफ ख.नं. 76/2 की शीट तरमीम की जाती है तो प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति व उज्रदारी नहीं है। ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा में से एनएच–11ए के एक्टेंशन हेतु भूमि अवाप्त की गई थी जिसके बाबत दैनिक समाचारपत्रों में कानूनी उपबन्धों के तहत पूर्व में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी तथा अवाप्तशुदा भूमि में हित व अधिकार है तो निर्धारित अवधि जो विज्ञति में प्रकाशित हुई थी सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी निवाई के समक्ष अपनी उज्रदारी पेश करने हेतु जारी हुई थी परन्तु प्रार्थी ने ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा में से की गई अवाप्तशुदा भूमि बाबत् कभी कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी निवाई के समक्ष निर्धारित अवधि में पेश नहीं की थी आराजी ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा आराजीयात जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होकर अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में है में से जो भूमि एनएच–11ए एक्टेंशन हेतु अवाप्त हुई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भी अप्रार्थीगण को सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई ने अपने आदेश दिनांक 22.1.2018 से अवाप्तशुदा भूमि आराजी ख.नं. 76/1 में से हुई थी उसका मुआवजा अप्रार्थी सं. 1ता7 के पक्ष में जारी करने के आदेश प्रदान किये थे इससे स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण आराजीयात ख.नं. 76/1 पर लबे सडक खातेदार की हैसियत से काबिज काश्तकार है जिसमें अप्रार्थीगण ने पुख्ता चार दुकाने बना रखी है जिसमें अप्रार्थीगण के पिता व पति द्वारा खुदवाया गया कुआ स्थित है जिसका उपयोग उपभोग केवल अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात की सिंचाई पिलाई के लिये करते हैं। ख.नं. 76 रकबा 08–13 बीघा का पूर्व खातेदार कल्याण पुत्र नारायण मीणा था जो अप्रार्थीगण का पिता व पति है। अप्रार्थीगण के पिता व पति ने दिनांक 15.6.1994 को प्रार्थी रामलाल को आराजी ख.नं. 76 में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रकबा 04–07 बीघा बेचान की थी उक्त विक्रय पत्र में विक्रय की गई आराजीयात बाबत् स्पष्ट रूप से अंकित है कि आस पास कोई सडक नहीं है। खेत पर पैदल ही जाने का रास्ता है। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त कयशुदा भूमि रकबा 04–07 बीघा मुख्य सडक पर नहीं होकर ख.नं. 76/1 जो लबे सडक है, के पीछे आडी स्थित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जावे परन्तु उक्त विभाजित भूमि की तरमीम पूर्व पश्चिम दिशा के रूप में दो भागों में आडा विभाजित किया जाकर लबे सडक ख.नं. 76/1 मय चाह व उसके पीछे की तरफ ख.नं. 76/2 की शीट तरमीम की जाती है तो प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति व उज्रदारी नहीं है।

प्रतिपक्षीगण 1ता7 के जवाब के पश्चात् तहसीलदार निवाई से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। वकील प्रार्थी ने मौका स्थिति के संबंध में तहसीलदार निवाई की पूर्व रिपोर्ट पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

निवेदन किया कि अब मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय हाजा ने अवलोकन किया। यह रिपोर्ट पेश होने के पश्चात् अब मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायालय आवश्यक नहीं समझता है। उक्त मौका स्थिति रिपोर्ट तहसीलदार निवाई दिनांक 29.8.2017 में वर्णन है कि ख.नं. 76 में दोनों पक्षों का कब्जा एन.एच. 11ए से लगवा है। ख.नं. 76/1 के खातेदार मूलचन्द वगै. की पुख्ता दुकानें मौके पर बनी हुई है एवं दुकानों के पीछे ज्वार की फसल खडी है। शेष भूमि रोड से लगवा सम्पूर्ण पडत है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का दोहरान करते हुये बहस में निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 76 रकबा 08–13 बीघा वाके ग्राम राजधिराजपुरा तह. निवाई में स्थित है। उक्त भूमि विभाजित होकर मौके पर ख.नं. 76/2 रकबा 04–07 बीघा प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी में तथा ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा प्रतिपक्षीगण सं. 1ता7 के कब्जे एवं खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख.नं. 76/2 रकबा 04–07 बीघा तथा ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा की दो अलग–अलग जमाबन्दीयां बनी हुई है अर्थात् दोनो की खातेदारी की जमाबन्दीयां बनी हुई है अर्थात दोनो की खातेदारी की जमाबन्दीयां तो पृथक–पृथक बन चुकी है परन्तु नक्शा ट्रेस में दोनों की तरमीम ही हुई नहीं है जो कि नक्शा ट्रेस में मूल ख.नं. 76 दर्शाया हुआ है जिसको मौके पर कब्जे के अनुसार ख.नं. 76/1 व ख.नं. 76/2 अंकित करते हुये नक्शा शीट में तरमीम करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि ख.नं. 76 में दोनों पक्षों का कब्जा एन.एच. 11ए से लगवा है। ख.नं. 76/1 के खातेदार मूलचन्द वगै. की पुख्ता दुकानें मौके पर बनी हुई है एवं दुकानों के पीछे ज्वार की फसल खडी है। शेष भूमि रोड से लगवा सम्पूर्ण पडत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम राजधिराजपुरा तहसील निवाई स्थित भूमि ख.नं. 76 में ख.नं. 76/1 व ख.नं. 76/2 की मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के आदेश प्रदान करें। वकील प्रतिपक्षीगण 1ता7 ने बहस में निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 76 रकबा 08–13 बीघा मौके पर पूर्व पश्चिम दिशा में आडी विभाजित होकर बंटी हुई है तथा ख.नं. 76/1 रकबा मय चाह 04–06 बीघा विभाजित होकर प्रतिपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। ख.नं. 76/1 सम्पूर्ण रकबा 04–06 बीघा लबे सडक स्थित है। ख.नं. 76 का तकासमा होकर ख.नं. 76/2 रकबा 04–07 बीघा तथा ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा की दो अलग–अलग जमाबन्दीयां बनी हुई है। उक्त विभाजित भूमि की तरमीम पूर्व पश्चिम दिशा के रूप में दो भागों में आडा विभाजित किया जाकर लबे सडक ख.नं. 76/1 मय चाह व उसके पीछे की तरफ ख.नं. 76/2 की शीट तरमीम की जाती है तो प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति व उज्रदारी नहीं है। ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा में से एनएच–11ए के एक्टेंशन हेतु भूमि अवाप्त की गई थी जिसके बाबत दैनिक समाचारपत्रों में कानूनी उपबन्धों के तहत पूर्व में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी तथा अवाप्तशुदा भूमि में हित व अधिकार है तो निर्धारित अवधि जो विज्ञति में प्रकाशित हुई थी सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी निवाई के समक्ष अपनी उज्रदारी पेश करने हेतु जारी हुई थी परन्तु प्रार्थी ने ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा में से की गई अवाप्तशुदा भूमि बाबत् कभी कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी निवाई के समक्ष निर्धारित अवधि में पेश नहीं की थी आराजी ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा आराजीयात जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होकर अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में है में से जो भूमि एनएच–11ए एक्टेंशन हेतु अवाप्त हुई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भी अप्रार्थीगण को सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई ने अपने आदेश

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

दिनांक 22.1.2018 से अवाप्तशुदा भूमि आराजी ख.नं. 76/1 में से हुई थी उसका मुआवजा अप्रार्थी सं. 1ता7 के पक्ष में जारी करने के आदेश प्रदान किये थे इससे स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण आराजीयात ख.नं. 76/1 पर लबे सडक खातेदार की हैसियत से काबिज काश्तकार है जिसमें अप्रार्थीगण ने पुख्ता चार दुकाने बना रखी है जिसमें अप्रार्थीगण के पिता व पति द्वारा खुदवाया गया कुआ स्थित है जिसका उपयोग उपभोग केवल अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात की सिंचाई पिलाई के लिये करते हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जावे परन्तु उक्त विभाजित भूमि की तरमीम पूर्व पश्चिम दिशा के रूप में दो भागों में आडा विभाजित किया जाकर लबे सडक ख.नं. 76/1 मय चाह व उसके पीछे की तरफ ख.नं. 76/2 की शीट तरमीम की जाती है तो प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति व उज्रदारी नहीं है।

बहस का मनन, तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ख.नं. 76 में दोनों पक्षों का कब्जा एन.एच. 11ए से लगवा है। ख.नं. 76/1 का खातेदार मूलचन्द वगै. की पुख्ता दुकानें मौके पर बनी हुई है एवं दुकानों के पीछे ज्वार की फसल खडी है। शेष भूमि रोड से लगवा सम्पूर्ण पडत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुख्य सडक एन.एच. 11ए पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों पक्षों का लगवा कब्जा है। उसी अनुसार तरमीम किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की भूमि ख.नं. 76/2 रकबा 04–07 बीघा व प्रतिपक्षीगण 1ता7 की भूमि ख.नं. 76/1 रकबा 04–06 बीघा वाके ग्राम राजधिराजपुरा की मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार तरमीम करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner